

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 04/2018

उनवान प्रकरण

गायत्रीदेवी पत्नी मानसिंह जाति ठाकुर निवासी पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेण्ट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.01.2018
मु0नं0 25/2018 सरकार बनाम गायत्रीदेवी
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :-

अपीलान्त की ओर से
रेस्पोडेण्ट की ओर से

:- श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
:- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 20.06.2018

उक्त अपील अपीलान्त द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 1250 रकवा 03 वीधा में से 05 विस्वा किस्म वंजड प्रथम, 1306 रकवा 5 बीधा 1+ विस्वा में से रकवा 05 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर, 1333 रकवा 10 बीधा 08 विस्वा में से 04 वीधा किस्म नहरी दोयम, 1393 रकवा 2 वीधा 3 विस्वा में से रकवा 10 विस्वा किस्म नहरी दोयम बॉके ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ में गेहूँ की फसल बोकर सम्बत 2074 रवी में पश्चातवर्ति अतिक्रमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना शास्त्री अधिरोपित कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 15.01.2018 को पारित किया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्त पर नहीं हुई। नोटिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा किसी के फर्जी हस्ताक्षर कराये गये हैं उन्ही फर्जी हस्ताक्षरों पर अपीलान्त की तामील मानली है। इस प्रकार अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य समाअत करने का अवसर प्रदान

(2)

न्याय अति. जिला कलक्टर धौल
वमुक: गायत्रीदेवी बनाम सरकार
अपील संख्या 04/2018

किये बिना अपीलान्तीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्तीन भूमिहीन कृषक है जिसका विवादग्रस्त आराजी पर 25 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है। अपीलान्तीन ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का किसी प्रकार पालन नहीं किया है तथा अपीलान्तीन को बिना सुने निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती है। अपीलान्तीन ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलान्तीन निर्णय निरस्त किये जाने तथा सिविल कारावास की सन्ना को माफ किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्तीन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्तीन के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित बिन्दुओं दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्तीन को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा आदेश पारित किया है। अपीलान्तीन ने उक्त विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में वह उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगी वर्तमान में अपीलान्तीन का कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्तीन के अभिभाषक ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में अपीलान्तीन गायत्रीदेवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सजा के बिन्दु को माफ करने हेतु निवेदन किया।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्तीन बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। उसके द्वारा इससे पूर्व भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्तीन पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्तीन खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिर्काड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्तीन ने आराजी खसरा नम्बर 1250 रकवा 03 वीधा में से 05 विस्वा किस्म वंजड प्रथम, 1306 रकवा 5 बीधा 11 विस्वा में से रकवा 05 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर, 1333 रकवा 10 बीधा 08 विस्वा में से 04 वीधा किस्म नहरी दोयम, 1393 रकवा 2 वीधा 3 विस्वा में से रकवा 10 विस्वा किस्म नहरी दोयम बाँके ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ में गेहूँ व संरसों की फसल बोकर सम्बत 2074 रवी मे नाजायज अतिक्रमण किया जाना सावित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सावित है कि अपीलान्तीन ने इससे पूर्व भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया था तथा बार बार अतिक्रमण करने का आदि हैं। पुनः नाजायज कब्जा किये जाने पर अतिक्रमी


(3)

न्या०अति.जिला कलक्टर धौ०
वमुक: गायत्रीदेवी बनाम सरकार
अपील संख्या 04/2018

पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट ने वहस में यह कथन किया है कि उन्होंने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में वह उक्त विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगी इस आशय का उसने अपना शपथ पत्र भी इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है।

अतः तहसीलदार सैपऊ को यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बावत तहसीलदार सैपऊ सन्यापन करने पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड़ना पाते हैं, सम्बत 2075 में अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं पाया जावे तो तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रकरण संख्या 25/2018 उनवानी सरकार बनाम गायत्रीदेवी में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2018 में अपीलान्ट को दी गई तीन माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटाया नहीं पाया जावे, सम्बत 2075 में अपीलान्ट का कब्जा पाया जावे तो अपीलान्ट के सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हरफूल सिंह यादव)
अति० जिला कलक्टर
धौ० (राज०)

